

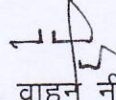
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक:

दिनांक: 15.07.2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय वाहन, मारुति जिप्सी मॉडल 2010 (पेट्रोल), पंजीयन संख्या RJ27-UA-4099 को "जहां है जैसा है" के आधार पर न्यायालय परिसर में दिनांक 23/07/2025 को सांय: 4.30 बजे खुली बोली द्वारा नीलाम किया जाएगा, जिसकी अमानत राशि रु. 5,000/-रु. रखी गई है। नीलामी शर्तें कार्यालय में अथवा विभाग की वेबसाईट <https://udaipur.dcourts.gov.in> पर देखी जा सकती है।

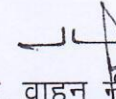

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर

क्रमांक: स्था./विविध/2025/3810-3812

दिनांक: 15.07.2025

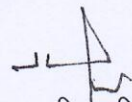
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्पादक, उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।


अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर

नीलामी शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी हेतु नियत दिनांक को अपरान्ह 3.00 बजे तक अमानत राशि रुपये 5,000/-रु. का बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर (District & Sessions Court, Udaipur) के नाम से देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा, इसके साथ बोलीदाता को फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रतिलिपि मय पता एवं मोबाईल नं. जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. वाहन की नीलामी निर्धारित दिनांक व समय पर न्यायालय परिसर में होगी, तथा नीलामी प्रक्रिया में नीलामी कक्ष में प्रवेश सहित उसी को बोली लगाने का अधिकार होगा, जिनकी अमानत राशि उक्त दिनांक को निर्धारित समय से पूर्व जमा हो चुकी है।
3. नीलामी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जायेगी। सफल बोलीदाता को बोली राशि तीन कार्यदिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
4. समस्त राशि जमा होने के पश्चात् ही वाहन सिपूद किया जायेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा वाहन की सिपुर्दगी नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो, उसकी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को वाहन का हस्तान्तरण/पंजीयन/निपटान से संबंधित समस्त खर्च एवं देय राज्य/केन्द्रिय करों का भुगतान स्वयं को करना होगा, जिसकी जमा की प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। वाहन से संबंधित दस्तावेजों में केवल आर.सी. की मूल प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण न्यायालय परिसर में कार्यालय समय के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं।
8. नीलामी के संबंध में सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास रहेंगे।


अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
उदयपुर